कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/ऑडिट/ए.जी–04/16–17/पैरा/20 दिनांकः 13/11/18

उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा.............................।

विषयः– महालेखाकार के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, अंकेक्षण अनुभाग की अ.शा.टीप क्रमांकः प.4(5)वित्त/अंकेक्षण/2017 जयपुर दिनांक 28.10.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, अंकेक्षण अनुभाग, जयपुर ने आपके कार्यालय, आपके अधीन कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं उनके अधीन कार्यरत राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि के महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना समय पर एवं ठोस सक्षम साक्ष्यों सहित नहीं भिजवाने को गम्भीरता से लिया है जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय के आक्षेपों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जो कि खेद का विषय है। समय पर आक्षेपों का निस्तारण नहीं होने पर अंकेक्षण की महत्ता कम हो जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय, आपके अधीन कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं उनके अधीन कार्यरत राउमावि/रामावि/राबाउमावि/ राबामावि के महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना शीध्र इस कार्यालय को भिजवाने हेतु कार्यवाही संपादित करें।

विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि कोई भी संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि किसी भी स्थिति में अनुपालना सीधे ही महालेखाकार कार्यालय एवं इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करे तथा आप से संबंधित समस्त बकाया महोलखाकार प्रतिवेदन एवं आक्षेपों की सूची तैयार कर भिजवावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/ऑडिट/ए.जी–04/16–17/पैरा/20 दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षै.ले.प.), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, अंकेक्षण अनुभाग को उनकी अ.शा.टीप क्रमांकः प. 4(5)वित्त/अंकेक्षण/2017 जयपुर दिनांक 28.10.18 के क्रम में।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5), विभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय...को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय से संबंधित व आपके क्षैत्राधीन विद्यालय महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना शीध्र इस कार्यालय को भिजवाने हेतु कार्यवाही संपादित करें।
5. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वैब साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कार्यालय को ई–मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D/A.G. -4